फर्द अहकाम

[illegible] बनाम सरकार वगैरह

308/2010 धारा

दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	टिप्पणी
7/01/2020	वकील पक्षकारान व पैरो- कार/ आवाज लगाया गया। वादी [illegible] बार [illegible] खारिज किया जाता है, किन्तु कोई प्रमाण में [illegible] जवाब शामिल नहीं किया गया, पत्रावली [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी- श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद-पत्र संख्या 308/2005
वाद-पत्र दायरी दिनांक : 28/02/2005
निर्णय दिनांक : 17/02/2020

[illegible]लाल पुत्र श्री घासी उम्र 62 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरडा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

--- वादीगण

बनाम

1. श्रीमति सायर पत्नि बिरदा उम्र 55 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरडा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
2. जग्गा पुत्र बिरदा उम्र 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरडा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. जगमाल पुत्र बिरदा उम्र 25 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मोरडा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. जिलाधीश महोदय जयपुर जिला जयपुर राज0।
5. तहसीलदार जी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

--- प्रतिवादीगण

वाद-इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री पन्नालाल चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 के विरूद्ध
कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 17/02/2020

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद-पत्र बाबत घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 945/2 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम मोरडा तहसील मौजमबाद जिला जयपुर में स्थित है। जिसका वादी काबिज खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व पैन्लटी व

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

अन्य देनदारी लगातार देता आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा जमाना बुजुर्गो से चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी दौराने सेटलेमन्ट सम्वत 2011 में सिवायचक दर्ज हो गई। जो कतई गलत दर्ज हुई है। कब्जा काश्त वादी का आज दिन तक मुतवादी चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी बिना कब्जे की जाचें किये गलत रूप से स्व0 बिरदा के नाम आवन्टन कर दी गई जबकि कब्जा वादी का आज दिन तक चला आ रहा है। तथा विवादग्रस्त आराजी गलत रूप से आवन्टन हुई है जो निम्न कारणों से आवन्टन ब मुकाबले वादी बातिल व बेअसर है :– (क) यह कि आवन्टन के वर्ष 1982 विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त था तथा वादी समस्त राजस्व देनदारीया अदा कर रहा था। (ख) यह कि आवन्टन कमेटी ने वादी के मौके पर कब्जे काश्त को अनदेखा कर स्व0 बिरदा के नाम आवन्टन कर दी जो कतई गलत है क्योकि आवन्टन के दिन उक्त भुमि खाली भूमि नही थी। (ग) यह कि वादी अनपढ व्यक्ति है जो राजस्व रिकार्ड की जानकारी नही रख सका और न ही आवन्टन की जानकारी वादी को हो सकी है अब जानकारी होने पर वादी ने समस्त कानूनी कार्यवाही सम्भवत रूप से कर दी है । जिससे की अपने खातेदारी अधिकारी की घोषणा करा सके। (घ) यह कि विवादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा अर्से दराज से चला आ रहा है इसजिए भी वादी को खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते है। इसलिए उक्त विवादित आराजी का आवन्टन कतई गलत रूप से स्व0 बिरदा के नाम किया गया है। विवादग्रस्त आराजी स्व0 बिरदा ने नाम गलत आवन्टन की गई है जिसकी जानकारी वादी को अनपढ व अशिक्षत होने के कारण नही हो सकी है। बिरदा का भी स्वार्गवास हो चुका है जिसके प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 03 कानूनी वारिसान है। जिन्होनें दिनांक 20–12–05 को गॉव मोरडा में धमकी दी की विवादग्रस्त आराजी जो हमारे पिता स्व0 बिरदा के नाम अलाट हुई थी का नामान्तकरण हमारे नाम खुलवाकर विवादग्रस्त आराजी को ऐसे व्यक्ति को विक्रय करेगे जो तुम्हे बेदखल कर विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लेगा। जिससे वादी को पुरा–पुरा अन्देशा है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 03 विवादग्रस्त आराजी को विक्रय कर वादी को बेदखल करेगे। इसलिए वादी को अपने हितो की रक्षारथ यह वाद प्रस्तुत करना लाजिम आया है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि विवादग्रस्त आराजी 945/2 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम मोरडा तहसील दूदू का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। दोराने वाद व आयन्दा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादग्रस्त आराजी से वादी को

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

बेदखल न स्वयं करे न अपने हालीमवाली नौकर चाकर एजेन्ट आदि से करावें। साथ ही स्वयं के नाम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 03 नामान्तरकरण तरमीम करते हुए अमल की तहरीर सब रजिस्ट्रार दूदू व ग्राम पंचायत मरवा को भिजवाने कि कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 09/01/2006 को प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 बावजूद तामील उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। दिनांक 10/03/2006 को वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0 दी0 पेश किया। बिरदीदेवी, रतनलाल, नन्दलाल, गोपाल की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

इस न्यायालय में दर्ज उक्त पत्रावली संख्या 308/2005 उनवानी भंवरलाल बनाम श्रीमती सायर वगैरह की मूल पत्रावली गुम हो गयी, जिसकी काफी तलाश करने पर भी नही मिली, जिस पर कार्यालय हाजा के रीडर श्री रामप्रसाद सांभरिया, राजस्व लिपिक इजहार व सहायक कर्मचारी श्री सीताराम बैरवा को तलाश कमेटी में नियुक्त किया गया।

दिनांक 02/01/2017 को पत्रावली संख्या 308/2005 की फोटो प्रति संकलित की गयी। मूल पत्रावली मिलने पर सम्मिलित कर दी जावें। प्रकरण में पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 की एक्सपार्टी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 फोरमल पक्षकार हैं। वादी की मृत्यु होने से उसके कायम मुकामान का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वारिशान को रिकार्ड पर लिया जा चुका हैं।

दिनांक 01/10/2019 को प्रार्थना–पत्र पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू से मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 04/12/2019 को प्रार्थी ने ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक तहसीलदार दूदू से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गयी। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एवं दस्तावेजात खसरा परिवर्तनशील, जमाबन्दीयात, मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार दूदू द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि तहसीलदार दूदू ने अपने जवाब में अंकित किया है कि" साबिक आराजी

खसरा नम्बर 945/2 रकबा 06 बीघा वाके ग्राम मोरड़ा तहसील दूदू में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1088 रकबा 1.62 हैक्टेयर हैं। प्रश्नगत आराजी बिरदा पुत्र लादू सा0 मोरड़ा की खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त भूमि सम्वत 2011 में सिवायचक दर्ज थी जिसको बाद में बिरदा पुत्र लादू कौम गुर्जर को आवंटित किया गया है, वादी का उक्त भूमि पर कब्जा रहा है, तो वह बतौर अतिक्रमी रहा हैं। आराजी का आवंटन बिरदा पुत्र लादू द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष प्रार्थना–पत्र के आधार पर आवंटन कमेटी द्वारा बाद जांच किया गया हैं। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट एवं भू अभिलेख अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बिरदा पुत्र लादू के वारिश नही होकर बिरदा पु मांगू के वारिश है। यदि प्रश्नगत भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है, तो कानूनी रूप से दोषी है और किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। वादी के विरूद्व आर.टी.एक्ट की धारा 183 के तहत मामला बनता हैं। प्रश्नगत आराजी पर अन्य खातेदार होने की वजह से वादी किसी प्रकार के अनुतोष का पात्र नही हैं। लिहाजा वादी का वाद काबिले खारिज होने से खारिज फरमाया जावें।''

इस प्रकार तहसीलदार दूदू की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह पाया जाता है कि उक्त विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 945/2 का आवंटन बिरदा पुत्र लादू को होना पाया जाता हैं तथा फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार खातेदार बिरदा पुत्र लादू का स्वर्गवास हो चुका है एवं विवादित आराजी पर वर्तमान में किसी रामराज पि. रतनलाल, गोपाल, नन्दलाल पि0 भंवरलाल गुर्जर सा0 देह का कब्जा काश्त होना बताया हैं वही वादी के कथनानुसार विवादित आराजी पर वादी भंवरलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा प्रतिवादीगण जो कि स्व0 बिरदा (जिसके नाम से विवादित भूमि आवंटन हुयी है) के तथाकथित वारिशान है, वो बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये है, तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण बिरदा पुत्र लादू के वारिश न होकर बिरदा पुत्र मांगू के वारिश है, ऐसी स्थिति में यह पाया जाता है कि विवादित आराजी का आवंटन बिरदा पुत्र लादू को हुआ है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक वारिशान न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये है एवं प्रतिवादीगण गलत रूप से बिरदा पुत्र लादू के वारिशान बन रहे है, जबकि तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण बिरदा पुत्र मांगू के वारिशान है, इस प्रकार विवादित आराजीयात से वादी व प्रतिवादीगण दोनों का ही कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है, चूंकि आवंटन किसी अन्य के नाम से हुआ है, यदि वादी का विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त भी है, तो वह मात्र अतिक्रमी की श्रेणी में

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

आता है, वही तहसीलदार दूदू की मौका रिपोर्ट से कब्जा काश्त रामराज पि. रतनलाल, गोपाल, नन्दलाल पि० भंवरलाल गुर्जर सा० देह का होना बताया हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वादी द्वारा गलत तथ्यों पर अपना वाद–पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से गलत रूप से अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, चूंकि वर्तमान में मूल आवंटी का स्वर्गवास भी हो चुका है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा अपना वाद–पत्र दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित नही किये जाने से वादी का वाद काबिले खारिज होने से खारिज किया जाकर विवादित आराजीयात के आवंटन खारिज की कार्यवाही जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र वादग्रस्त आराजी 945/2 रकबा 06 बीघा वाके ग्राम मोरडा, तहसील दूदू, जिला जयपुर के बाबत खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है अन्तर्गत धारा 14(4) के तहत उक्त विवादित आराजीयात के आवंटन निरस्त की सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर इस न्यायालय को शीघ्रातीशघ्र अवगत अवगत करावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/2/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

नोट :– आदेश दि० 7/9/2020 के अनुसार निर्णय दिनांक 17/02/2020 के मुख्य अन्तिम पत्र अंकित अन्तर्गत धारा 14(4) के तहत विवादित आराजीयात के आवंटन निरस्त की सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें। के स्थान पर "प्रकरण में रैफरेन्स लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें" पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

आदेश डिग्री

(ओ. 20 रूल 6-7 ज़ाब्ता दीवानी)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू

मुद्दई: श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत RAS

मुद्दई: ... लाल पुत्र ... शर्मा ... जाति ब्राह्मण

बनाम: 1. श्रीमति सायर पत्नि किरदा शर्मा 2. जमना, 3. जगमाल पुत्रान किरदा

... तहसीलदार दूदू (अप्रार्थी)

308/2005 ... 1995

श्री पन्नालाल चौधरी Adv.

मिनजानिब मुद्दई समक्ष

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र वादग्रस्त आराजी 945/2 रकबा 0.60 हैक्टेयर वाके ग्राम मालेडा तह० दूदू जिला जयपुर के बाबत खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि अन्तर्गत धारा 14(4) के तहत उक्त विवादित आराजीयात के आवंटन निरस्त की प्रक्रिया नियमानुसार कार्यवाही कर इस न्यायालय को शीघ्रातीशीघ्र अवगत करावे।

17-02-2020

खर्चा इस मुकदमे के बाबत ... कौन अदा करे।

... अदायगी तक ...

दिया गया मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

दस्तखत

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजाह सबूत			... वकालत		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			... हुक्मनामा		
खर्च इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- आदेश दिनांक 7/9/20 के अनुसार डिग्री दिनांक 17/02/2020 के प्रथम पृष्ठ पर दर्ज ग्राम मालेडा के स्थान पर ग्राम मोरडा पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।